

ले आउट प्लान समिति (बैठक एजेण्डा)

टाउनशिप पॉलिसी-के बिन्दु संख्या 2.4, 2C, Note. (4) के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिशाषी अधिकारी को समिति में प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी के रूप में समिति अध्यक्ष माना जायेगा।

आज दिनांक 07.04.2026 को सांय 4.00 बजे कार्यालय नगरपालिका नवलगढ के अधिशाषी अधिकारी कक्ष में प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय ले आउट प्लान समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

11. प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नवलगढ	समिति अध्यक्ष
12. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नवलगढ	सदस्य सचिव
13. कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका नवलगढ	सदस्य
14. वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका नवलगढ	सदस्य
15. विधि शाखा प्रभारी, नगरपालिका नवलगढ	सदस्य

एजेण्डा संख्या 1:- ले आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार विमर्श।

प्रस्ताव संख्या- 1:- खसरा संख्या 595/587,596/120 रकबा क्रमशः 0.7600 हैक्टेयर एवं 1.1900 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर पर ग्रामीण आबादी विस्तार आवासीय कॉलोनी Shrinath Enclave Phase - D के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।

अधिशाषी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि मैसर्स: श्रीनाथ रीयलिटीज नवलगढ जरिये पार्टनर श्री नरेश चन्द्र पूनिया पुत्र दयाचन्द पूनिया निवासी-बी-7 हरि नगर, शास्त्री नगर जयपुर। द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन क्रमांक: LSGCLU90A 2025-26/108502 दिनांक 04.02.2026 के क्रम में पालिका के आदेश क्रमांक LSGCLU90A 2025-26/108502 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा आवासीय अनुज्ञा जारी की जा चुकी है जिसके क्रम में नवीन खसरा नम्बर 595/587,596/120 होकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका नवलगढ के नाम दर्ज हो चुकी है। योजना के विकासकर्ता ने योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया है जिसकी पत्रावली में पहुंच मार्ग, भौतिक स्थिति तथा टाउनशिप पोलिसी के पैरामीटर्स के सन्दर्भ में तकनीकी परीक्षण कर रिपोर्ट कर दी गयी है।

समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद विचार विमर्श कर समिति द्वारा ले आउट प्लान के तकनीकी मापदण्डों तथा टाउनशिप पोलिसी के प्रावधानों व पैरामीटर्स की पालना के साथ सर्वसम्मति से ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया नियमानुसार शुल्क राशि जमा ली जावे।

विकास राठौड़
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका नवलगढ

नितेश कुमार
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका नवलगढ

सहदेव दाम चौरण
प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ

सहदेव दाम चौरण
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ

अनिल कुमार शर्मा
विधि शाखा प्रभारी
नगरपालिका नवलगढ

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नवलगढ़ (झुन्डू)

रेलवे स्टेशन रोड़, प्रेमप्रकाश टॉकीज के पास नवलगढ़, कार्यालय e-mail-navalgarh.jaipur@gmail.com

क्रमांक: न.पा.न. / 2026-27 / 10

दिनांक: 7/04/2026

प्रेषिती:-

मैसर्स श्रीनाथ रीयलिटीज नवलगढ़ जरिये पार्टनर श्री नरेश चन्द्र पुनियां पुत्र श्री दया चन्द पूनियां, निवासी-बी 7 हरी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर (राज0) विषय:- राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ के खसरा नम्बर 595/587, 596/120 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर भूमि पर श्रीनाथ एनक्लेव फैंज-D आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ के खसरा नम्बर 595/587, 596/120 कुल रकबा 1.9500 हैक्टेयर भूमि पर श्रीनाथ एनक्लेव फैंज-D आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2024 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ-तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2024 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना में सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन का निर्माण आवेदक द्वारा करवाया जावेगा अन्यथा इस हेतु राशि पालिका कोष में जमा करवाई जायेगी।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार निर्धारित अवधि में आन्तरिक विकास कार्य आवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने होंगे।
7. योजना के अनुमोदित मानचित्र को योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2025 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 09 भू-खण्डों (भूखण्ड संख्या 30, 31, 57, 58, 59, 60, 67, 68 व 69) का पालिका के पक्ष में मौर्तगेज (गिरवी) किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार Maintenance किया जाना आवश्यक होगा।
12. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन. एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।

(सहदेव दुर्गाचारण)
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़

Layout Plan of SHRINATH ENCLAVE PHASE - D

KHASRA NO.- 595/587, 596/120

VILLAGE- DHAKA KI DHANI , TEH.- NAWALGARH, JHUNJHUNU

SCALE :- 1CM = 8 MTR

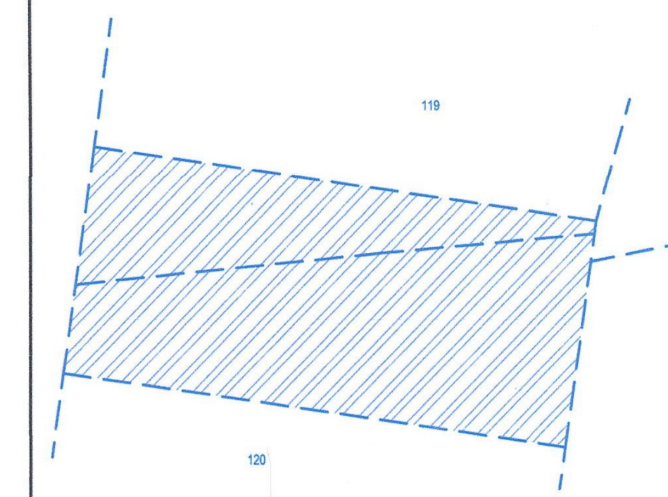


नगरपालिका स्वीकृत ले आउट प्लान समीति की बैठक दिनांक: 7.04.2026 में सर्वसम्मति से ले आउट प्लान स्वीकृत किया गया और ब्रूचर्ड संख्या 30,31,57,58,59,60,61,68 व 69 को विकास शुल्क व अन्य राशि जमा कराये जाने तथा विकास कार्य पूर्ण होने तक Morngugle रखा जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका नवलगढ़ वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका नवलगढ़

प्रारंभिक एवं अधिशाही अभियन्ता नगरपालिका नवलगढ़

KHASRA PLAN OF PROPOSED SCHEME:-



SCALE :- 1CM = 8 MTR

योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना 2031 के अनुसार भू उपयोग प्रस्तावित आवासीय योजना के भूखण्डों की गणना :-
आवासीय भूखण्ड:-
व्यवसायिक भूखण्ड:-
खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड:-

योजना क्षेत्र का भू-उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-
क्र.सं. भू-उपयोग क्षेत्रफल(व.मी.मे) प्रतिशत

1.	आवासीय	10469.24	53.69%
2.	खुदरा व्यवसायिक	390.00	02.00%
3.	हरित उद्यान	1365.00	07.00%
4.	सुविधा क्षेत्र	780.00	04.00%
5.	जन सुविधा क्षेत्र	780.00	04.00%
6.	मोबाईल टावर	20.00	00.10%
7.	सड़क	5695.76	29.21%
योजना क्षेत्रफल (A+B)		19500.00	100.00%

प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 19500.00 व.मी.

NAME OF SCHEME :- SHRINATH ENCLAVE PHASE -D

NAME OF DEVELOPER :-

DESIGNED TO :- NAGAR PALIKA NAWALGARH (JHUNJHUNU)

DESIGN BY:- Lakshya Consultancy

LAND SURVEY, PLANNING, DEMARCATION TOWNSHIP DEVELOPMENT ENGINEERING AND ARCHITECT CONSULTANT
104-105, Coral Studio 1, Sahakar Marg Lal Kothi, Jaipur-302015 (Raj) India
Tel: 9828165989, 8233075889
Email: info@lakshyapmc.in

RELEASED FOR: ☐ INFORMATION ☐ APPROVAL ☐ CONSTRUCTION

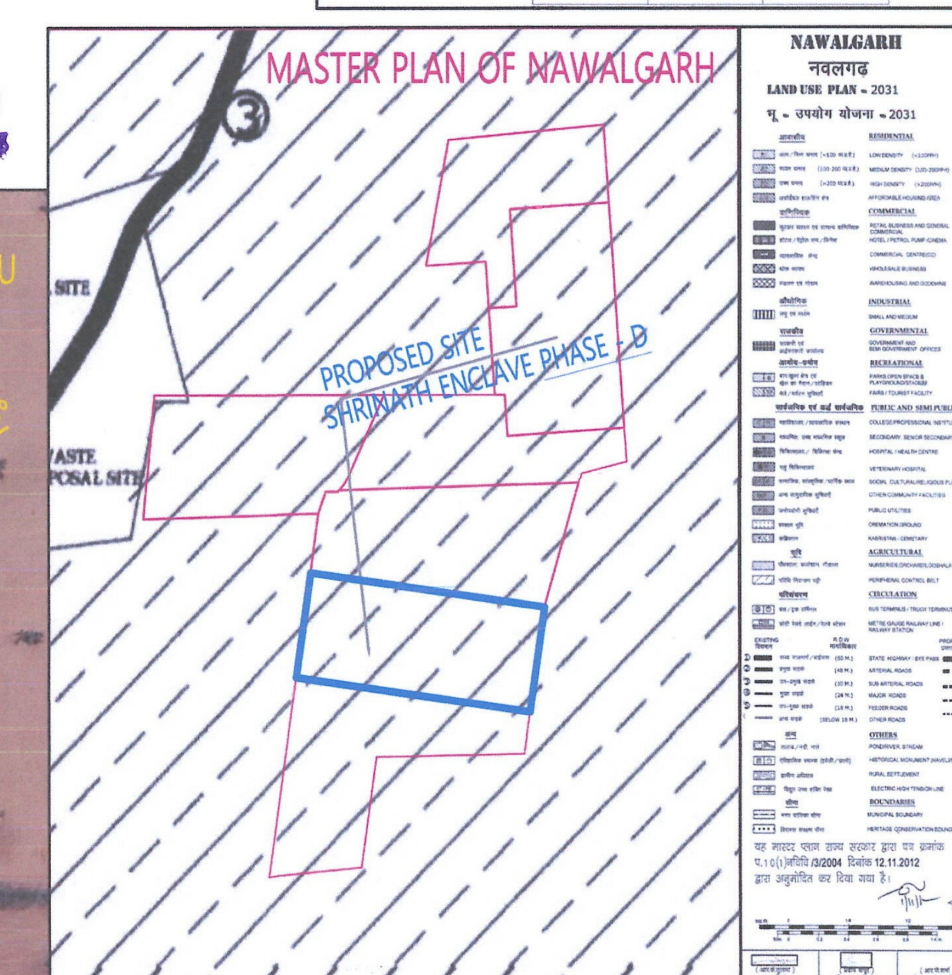
राजस्थान सरकार की दफ्तर के अधीन 595/587, 596/120 का रकबा A,B,C,D क्रमांक: 0.76 हेक्टर + 1.19 हेक्टर जिसमें 0.76 आवासीय उपयोग हेतु मिलान किया गया और जो अभी है इसमें मार्केट की दृष्टि से अभी है अस्थायी के (कमलिक व खराब) भूमि नहीं है। इसमें 0.76 हे. के क्षेत्र में 18 मीटर का रास्ता दिखते हैं।

महेश कुमार
पटवारी (भू. अ.)
पटवारी मण्डल
नवलगढ़ (राजस्थान)

AREA IN HECT.			
Khasra No.	Taken Area	Remaining Area	Total Area
595/587 Part	0.7600	-	00.000
596/120 Part	1.1900	-	00.000
Total	1.9500	00.00	000.000

120

योजना क्षेत्र का पहुंच मार्ग मानचित्र:-



M/S SHRINATH REALITIES NAWALGARH

Partner